

द्वितीय 100 दिनों का अभियान - "सक्षम निवेशक"

केवाईसी अद्यतन एवं संबंधित अद्यतनों हेतु और आईडीपीएफ में अदत्त/अदावी लाभांशों के अंतरण रोकने के लिए शेयरधारक की सहभागिता

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 16 जुलाई 2025 के परिपत्र के पहले के अभियान के क्रम में आईडीबीआई बैंक लि. ने दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 की अवधि के लिए विस्तारित दायरे के साथ अदावी/ अदत्त लाभांश के वास्तविक शेयरधारकों को प्रत्यक्ष भुगतान को और अधिक सुगम बनाने के लिए द्वितीय 100 दिनों का अभियान- "सक्षम निवेशक" शुरू किया है.

इस पहल का उद्देश्य शेयरधारकों को निम्नलिखित में सहायता प्रदान करना है :

- सक्रिय सहभागिता - केवाईसी विवरण, बैंक अधिदेश, नामांकन संबंधी जानकारी तथा संपर्क विवरण के अद्यतन हेतु शेयरधारकों से संपर्क स्थापित करना
- समयबद्ध लाभांश प्रसंस्करण - वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए अदत्त/ अदावी लाभांश का शीघ्र प्रसंस्करण.
- अनावश्यक अंतरण की रोकथाम- पात्र शेयरधारकों द्वारा आवश्यक दावे प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करते हुए, शेयरों के IEPF में अंतरण से बचाव करना.
- प्रत्यक्ष दावा निपटान - शेयरधारकों को उनके वैध दावे को सीधे कंपनी से प्राप्त करने में सक्षम बनाना.

जिन शेयरधारकों ने उपर्युक्त तीन वित्तीय वर्षों के लिए अभी तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है अथवा अपने रिकार्ड को अपडेट करना है, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित से संपर्क करें :

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई - आईडीबीआई बैंक) सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032 टोल-फ्री: 1800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

अथवा

इक्विटी सेल - बोर्ड विभाग आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय)

22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005

दूरभाष: (022) 66553062 / 3336 / 2806 / 6619-4172 ई-मेल: idbiequity@idbi.co.in

भवदीया,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए

ह./-

ज्योति बीजू नायर

कंपनी सचिव